

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

टी0ए0-10 / 2012

21.09.22

अपीलार्थी की ओर से वकालतन हाजरी है। विपक्षी राधे ताँती की हाजरी है।

वाद पुकारा गया। पुकार पर भी कोई भी पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। पूर्व की तिथि में भी पुकार पर कोई भी पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। पूर्व की तिथि में भी पुकार पर कोई भी पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये थे। अतः सी0पी0सी के ऑर्डर 41 रूल 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत वाद को खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

ए0डी0जे0-2